फ़र्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व वाद जीसीएमएस नंबर 2014/02099 बअनवान रंगराज के आ.मु. दिनेश कुमार बनाम आनंद कुमार वगैरा

वाद अंतर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी पर वकील वादी की बहस पर मनन के पश्चात हस्तगत प्रकरण में स्वीकार्य तथ्य है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में वाद सं 36/94 इस न्यायालय में चला जिस वाद का निर्णय दिनांक 07.10.2014 को इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है। उसी भूमि के संबंध में वादी द्वारा उक्त वाद इस बिंदु को लेकर प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व निर्णीत वाद में भूमि धनपतराज की खरीदसुदा मानी गई थीं। वादी ने प्रार्थना पत्र जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि पूर्व वाद 36/94 में वास्तविक स्वामी को पक्षकार नही बनाया गया था। पूर्व वाद में प्रतिवादी सं 1 से 5 व 11 से सभी प्रतिवादी पक्षकार थे, जिन्होने आपस में मिलकर भूमि हजम करने के आशय से फर्जी तौर पर पक्षकार बनाते हुये प्रतिवादी सं 1 से 5 के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि को पर्सनल कैपिसिटी में खरीदना मान कर सर्वोदय केन्द्र के विरूद्ध वाद दिनांक 07.10.19 को डिक्री किया है इस प्रकार पूर्व वर्णित वाद की वादी को किसी प्रकार की जानकारी नही रही है जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की दलील दी गई। वादी ने वादपत्र एवं धारा 11 के प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित तथ्यों में प्रकट किया कि जिस भूमि खिमेल के हाल खसरा नंबर 551 से 556 व 578 रकबा 12.24 हैक्टर की घोषणा खातेदारी, बेदखली व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद इस बिनाय पर किया गया है कि पूर्व में न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद सं 36/94 निर्णय दिनांक 07.10.14 में अदालत के साथ धोखाधडी कर डिक्री प्राप्त की है तथा दिनांक 07.10.14 को निर्णीत वाद में वादी पक्षकार नही होने से वादी का उक्त वाद रैस ज्युडिकेटा के प्रावधानों से बाधित नहीं है। इस प्रकार वादी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करते है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा इस भूमि के संबंध में प्रस्तुत वादों का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है। इस प्रकार जब तक वादी इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णीत वादों में दिये गये निर्णय को अपर न्यायालयों से निरस्त नही करवा देता तब तक इसी भूमि के संबंध में किसी प्रकार का वाद लाने का अधिकारी नही रहता है जिससे प्रतिवादी सर्वोदय केन्द्र खिमेल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा ग्राम खिमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 551 से 556 व 578 रकबा 12.24 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

रंगराज पुत्र केवलचंदजी जाति जैन मेहता के का.मु.–

1. चन्द्रेश कुमार पुत्र रंगराजजी पुत्र केवलचंदजी
2. स्व. मनीष पुत्र रंगराजजी पुत्र केवलचंदजी के का.मु.–
   2/1– सरोज पत्नि मनीष मेहता,
   2/2– वृतीक पुत्र स्व. मनीष मेहता,
   2/3– जशमेहता पुत्र स्व. मनीष मेहता जाति जैन निवासी खीमेल हाल मुम्बई
3. प्रवीण कुमार पुत्र रंगराजजी पुत्र केवलचंदजी
4. शर्मीला पुत्री रंगराजजी पुत्र केवलचंदजी
5. देवीबाई पत्नि रंगराजजी पुत्र केवलचंदजी, जाति जैन निवासी खीमेल तहसील बाली जिला पाली जरिये आम मुख्त्यार दिनेश कुमार लोढा निवासी बाली जिला पाली राजस्थान

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. आनन्द कुमार पुत्र धनपतराजजी,
2. स्व. महेन्द्र कुमार पुत्र धनपतराजजी के का.मु.–
   2/1– राशि (रसीया) पत्नि स्व. महेन्द्र कुमार
   2/2– सुश्री सानु मेहता पुत्री स्व. महेन्द्र कुमार निवासी ए/13 वीना टांवर वीना नगर फेज नं 2, ऑफ एल बी एस रोड मुलुण्ड पश्चिम मुम्बई 80 महा.
   2/3– श्रीमति दिया निलेश जैन पुत्री स्व. महेन्द्र कुमार, निवासी 1302 ए विंग टोवर नं 3 विकास पेरेडाइज एलबीएस मार्ग संतोषी माता मंदिर के पास, मुलुण्ड पश्चिम मुम्बई 80 महा.
   2/4– श्रीमति खुश्बु विशाल मेहता पुत्री स्व. महेन्द्र कुमार, वर्धमान कॉम्प्लेक्स न्यु गोल्डन नेस्ट कोश रोड, भायंदर ईस्ट जिला ठाणे महा. 401105
3. दिलीप कुमार पुत्र धनपतराजजी,
4. श्रीमति हर्षकंवर पत्नि धनपतराजजी, जाति जैन मेहता निवासी 87 रामगली नंबर 6 राजामार्क जयपुर 4 राजस्थान
5. श्रीमति प्रभा बाबेल पत्नि डॉ. बलवीरसिंह बाबेल जाति जैन निवासी 7ख 24 जवाहरनगर जयपुर
6. स्व. विमलचंद पुत्र नथमलजी जैन के का. मु.–
   6/1– श्री मांगीलाल पुत्र विमलचंद निवासी मानसी अपार्टमेण्ट न्यु मिल रोड, कुला मुम्बई 400070
7. स्व. वरदीचंद पुत्र अजयराज जाति जैन
   7/1–धनराज पुत्र वरदीचंद सीओ विरेन्द्रसिंहजी 225 नरपतनगर पाल रोड, जोधपुर 342001
8. स्व. अमृतलाल पुत्र लालचंद जैन के का.मु.– स्व. सायरमल पुत्र अमृतलालजी के का.मु.–
   8/1–किमराज पुत्र सायरमल जैन निवासी राज स्टील406 नाना पेट गणपत कम्पाउण्ड क्वार्टर गेट के पास पुना 411002 महा.
9. स्व. हस्तीमलजी जाति जैन निवासी खिमेल का. मु. – किरण पुत्र हस्तीमलजी जाति जैन मेहता निवासी 13ए महावीर कॉओपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी, गोकुल होटल के सामने पोपरो 411018 पुना
10. स्व. रूपराज पुत्र गुणेशमलजी जैन मेहता निवासी खीमेल के का. मु. –
    10/1 – श्री अशोक कुमार पुत्र रूपराजजी मेहता निवासी ओम साईं साईबर केपे 4/6 जमुना बिल्डिंग रामसती मार्ग मलाड पुर्व महाराष्ट्र
11. जठमल [illegible] मंत्री सर्वोदय केन्द्र खिमेल
12. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gems No. 2014/02099

वाद अंतर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी सर्वोदय केन्द्र खिमेल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम खिमेल स्थित भूमि खसरा नंबर 551 से 556 व 578 रकबा 12.24 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा 88, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् खातेदार घोषणा, बेदखली व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का उक्त वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, बेदखली एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी किया।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी किया गया।

मोहर

दिनेश विश्नोई
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner